

संख्या 00863/2020-2021

आक्य-9
नियम 8(2) देखिये

दिनांक 30/09/2020



**सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)**

नवीनीकरण

संख्या: R/GOR/06369/2020-2021

पत्रायली संख्या: G-04

दिनांक: 1985-1986

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि शीमा ग्रामोद्योग सेवा समिति, मोहनपुर-शिवपुर जनपद-गोरखपुर, गोरखपुर, 273001 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 04/1985-1986 दिनांक-23/09/1985 को दिनांक-23/09/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है। 1100 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



**Digitally Signed By
(AJAY KUMAR SHAHI)**

31284F4793C97A2B162F6F771F04D43EDB573E5B

Date: 30/09/2020 11:59:05 AM, Location: Gorakhpur.

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

जारी करने का दिनांक-30/09/2020

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AD 589577

जनरल स्टाम्प पेपर... श्रीमान् श्रीमती श्रीमान् श्रीमती
श्रीमान् श्रीमती श्रीमान् श्रीमती
श्रीमान् श्रीमती श्रीमान् श्रीमती
श्रीमान् श्रीमती श्रीमान् श्रीमती
श्रीमान् श्रीमती श्रीमान् श्रीमती

यह अभिलेख बंजीकृत नहीं है।



सहायक रजिस्ट्रार
जनरल स्टाम्प पेपर
गोरखपुर (उ.प्र.)
2015/16

क्र.सं०	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री ओम प्रकाश मिश्र पुत्र स्व. चन्द्रदेव मिश्र	मो० बाउदपुर जनपद गोरखपुर	अध्यक्ष	कृषि
2.	श्री उमाकान्त शर्मा पुत्र श्री यशमन्त शर्मा	उपरोक्त	उपाध्यक्ष	"
3.	श्री अनिल कुमार राय पुत्र स्व. रामदास राय	उपरोक्त	मंत्री	"
4.	श्रीमती विद्यावती राय पत्नी श्री अनिल कुमार राय	उपरोक्त	कोषाध्यक्ष	"
5.	श्रीमती माधुरी राय पत्नी श्री जे०बी०राम	उपरोक्त	सदस्य	"
6.	श्रीमती मीरा राय पत्नी स्व. अरुण कुमार राय	उपरोक्त	सदस्य	"
7.	श्रीमती सुमीला शर्मा पत्नी श्री कुलभूषण शर्मा	उपरोक्त	सदस्य	"
8.	श्री अमरनाथ सिंह पुत्र स्व० श्रीनारायण सिंह	राजेन्द्रनगर पश्चिमी, गोरखपुर जनपद गोरखपुर	सदस्य	"
9.	श्री राजीव कुमार राय पुत्र स्व. रामदास राय	मो० बाउदपुर जनपद गोरखपुर	सदस्य	"
10.	श्री संगीत कुमार राय पुत्र स्व. रामदास राय	उपरोक्त	सदस्य	"
11.	श्रीमती साधना राय पत्नी श्री संगीत कुमार राय	उपरोक्त	सदस्य	"
12.	श्री कुलभूषण शर्मा पुत्र स्व. शिवमंगल शर्मा	उपरोक्त	सदस्य	"

श्री मन्मथ ठाकुर नदी



① Rai
② Rai

③ श्रीमती
Vidyaawati Rai

सत्य - प्रतिलिपि
सहायक सचिव
पता सोसाइटीय सेवा विभाग
285-20 गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता...
वित्तिय कर्ता...

संख्या - 2870



के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

पत्रावली संख्या जी- 04

नवीनीकरण संख्या-1201 / 2015-2016

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि वीणा ग्रामोद्योग सेवा समिति

मोहल्ला- दाउदपुर, जनपद- गोरखपुर, उ० प्र०

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या- 04/1985-1986

दिनांक 23/09/1985 को दिनांक 23/09/2015 से पांच वर्ष की अवधि के लिए

नवीनीकृत किया गया है।

1000.00 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक : 23.09.2015

23/9/15
सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश

(8)

संस्थानिष्ठ स्मृति-पत्र

- 1. संस्था का नाम :: वीणा ग्रामोद्योग सेवा समिति।
- 2. संस्था का पूरा पता :: मोठ दाउदपुर
जिला- गोरखपुर।
- 3. संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
- 4. संस्था का उद्देश्य-

1. भारतीय परम्परा के आधार पर सदा जीवन उच्च विचार पर आधारित लघुमाध्यमिक, प्राथमरी, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इंटर एवं उच्च स्तर तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना जिससे भारतीय स्वावलम्बन एवं स्वदेश प्रेम की भावना उत्पन्न हो सके। विशेषकर प्राचीन क्षेत्रों में कन्या विद्यालयों की स्थापना करना।
2. शिक्षा के साथ-साथ, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, टाइपिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, संगीत, नृत्य, व्यूटीशियन, कल संरक्षण देवसीन कला, गृह सज्जा, आचार, मुरब्बा, भाचिस, पत्तल, जगरबर्ती, मोमबत्ती, मसाला जैसे रोजगार की जानकारी देकर बालक, बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाना।
3. पर्यावरण, वृक्षारोपण, प्रदूषण, ग्रीड शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, साधारण शिक्षण, कार्यक्रमों का संचालन करना व प्रचार व प्रसार करना, स्वयं सहायता समूहों का गठन करना व इसके बारे में ज्ञान करवाना।
4. फूफों की समस्याओं के समाधान हेतु गन्ना, फल, सब्जी, धान, गेहूँ, दालों, की नयी व पुरानी तकनीकों को विकसित करके किसानों को अधिकतम जानकारी प्रदान करवाना, जैविक खेती, औषधी, दुग्ध विकास के क्षेत्र में जागृति पैदा करना, तथा इसका प्रसार प्रचार करना।
5. दैनी आपदा बाढ़ भूकम्प, सूखा, रोग, जैसे जैसी भयानक विमारियों के सरकार के साथ कर्मों से कन्या मिलाकर चलने का प्रयत्न करना।
6. मानव संसाधन मंत्रालय, कण्ट, नवाई, सिडवी, बालश्रमिक, बालविकास, बालविकास, युनिसेफ, यूनिफेम, आईएफएलओ व छत्ती ग्रामोद्योग बोर्ड से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों का प्रचार व प्रसार करने का प्रयास करना।
7. राष्ट्रीय से सम्बन्धित यौन प्रहार की रोकथाम, दुर्घटना, अशिक्षित, अशिक्षित, अशिक्षित लड़कियों के शारीरिक समूह मण्डल में करवाने का प्रयत्न करना।
8. शास्त्र, अनायास, वाचनालय, पुस्तकालय, युवाश्रम, बालश्रम, महिलाश्रम, बरातघर, रंगमंच, राज्य मंच की स्थापना कर जन जन को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयत्न करना।
9. ग्रामोद्योग/शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को, पार्क शिवर, नाली, छण्डजा, एवं सुन्दरीकरण करवाने का प्रयत्न करना।
10. परिवार कल्याण, टीकाकरण, कैसर, ज्वर रोग, संक्रामक रोग, एड्स, प्लस पोलियो, हेपेटाइटिस बी, टीबी, मलेरिया, आदि रोगों को अपने बच्चों को दुध पिलाने एवं उन्हें स्वस्थ रखने के बारे में ज्ञान करवाना, परिवार कल्याण से सम्बन्धित समस्त जानकारी संस्था के माध्यम से निःशुल्क दिलाने का प्रयत्न करना।
11. जीव-जन्तुओं से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों का संचालन करना एवं इसका प्रचार व प्रसार करना।
12. उच्चस्तरीय खेलकूद जैसे- क्रिकेट, हाकी, फुटबाल, बालीबाल, कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्याऊ, धर्माध्य हिस्सेदारी, व निःशुल्क हॉस्टल, निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना करना।
13. शिक्षा की सुविधा प्रदान कर बालक एवं बालिकाओं को सार्वत्रिक नागरेक बनाना व कन्या विद्यालयों की स्थापना करना।
14. संस्था के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाएँ, जूनियर नाट्य के बारे में जानकारी देना।
15. विकलांग बालक एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा, कृत्रिम अंग, निःशुल्क चिकित्सालय सुविधा प्रदान करना।
16. स्वच्छता, स्वच्छता, इससे सम्बन्धित सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी करवाना एवं प्रचार व प्रसार करना।
17. युवाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना।
18. मानव पालन, भूमि सुधार से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों का संचालन करना व इसका प्रचार व प्रसार करना।

संस्था के अध्यक्ष
मुझेनी शाही



उपाध्यक्ष
श्रीराम
Rajeev Kumar

माधुरी राय

संस्था के अध्यक्ष

2. संस्था का पूरा पता :: मोठ दाउदपुर
जिला- गोरखपुर।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था का उद्देश्य-

1. भारतीय परम्परा के आधार पर साक्षर जीवन उच्च विचार पर आधारित लघुसाधक, प्राइमरी, गुरुकुल, हाईस्कूल, इंटर एवं उच्च स्तर तक की शिक्षा का प्रवर्धन करना जिससे भारतीय स्वावलम्बन एवं स्वदेश प्रेम की भावना उत्पन्न हो सके। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कन्या विद्यालयों की स्थापना करना।
2. शिक्षा के साथ-साथ, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, टाइपिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रेंटिंग, संगीत, नृत्य, व्युटीशियन, फल संरक्षण टेबलिन कला, गृह सज्जा, आचार, मुरब्बा, भाचिस, पलत, अजरबाली, मोमबत्ती, मसाला जैसे रोजगार की जानकारी देकर बालक, बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाना।
3. पर्यावरण, वृक्षारोपण, प्रदूषण, शीघ्र शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अक्षरता मिशन, कार्यक्रमों का संचालन करना व प्रचार व प्रसार करना, स्वयं सहायता समूहों का गठन करना व इसके बारे में ज्ञान करवाना।
4. कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु गन्ना, फल, सब्जी, धान, गेहूँ, दालों, की नयी व पुरानी तकनीकों को विकसित करके किसानों को अधिकतम जानकारी प्रदान करवाना, जैविक खेती, औषधि, दुग्ध विकास के क्षेत्र में जागृति पैदा करना, तथा इसका प्रसार प्रचार करना।
5. देवी आपदा बाढ़ मुकम्प, सूखा, हैजा, एच. आई. जैसी भयानक विमारियों के सरकार के साथ कर्मों से कन्या मिलाकर चलने का प्रयत्न करना।
6. मानव संसाधन मंत्रालय, कर्पाट, नवाई, सिडवी, बालश्रमिक, बालविकास, बालविकास, यूनिसेफ, यूनिफेम, आईएफएल/ओए व खादी प्रमोवोग बोर्ड से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों का प्रचार व प्रसार करने का प्रयास करना।
7. मंडला से सम्बन्धित धीन ग्रहण की रोकथाम, दहेज प्रथा, अविवाह, गरीब लड़कियों के शारीरिक समूह मण्डल में करवाने का प्रयत्न करना।
8. अस्पताल, अनाथालय, वाचनालय, पुस्तकालय, बुढ़ाआश्रम, बालआश्रम, महिलाआश्रम, बरतार, रोगमंच, शौचालय की स्थापना कर जन जन को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयत्न करना।
9. ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को, पार्क शिवर, नाली, खण्डजा, सुन्दरीकरण करवाने का प्रयत्न करना।
10. परिवार कल्याण, टीकाकरण, कैसर, अप रोग, संक्रामक रोग, एड्स, फ्लू, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, माताओं को अपने बच्चों को दुध पिलाने एवं उन्हें स्वस्थ रखने के बारे में ज्ञान करवाना, परिवार कल्याण से सम्बन्धित समस्त जानकारी संस्था के माध्यम से निःशुल्क दिलाने का प्रयत्न करना।
11. जीव-जन्तुओं से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों का संचालन करना एवं इसका प्रचार व प्रसार करना।
12. उच्चस्तरीय खेलकूद जैसे- क्रिकेट, हॉकी, फुटबल, बालीबाल, कबड्डी, कुन्ती, बैडमिंटन व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्याज, सर्माचं डिस्पेन्सरी, व निःशुल्क हास्टल, निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना करना।
13. शिक्षा की सुविधा प्रदान कर बालक एवं बालिकाओं को साक्षर नागरिक बनाना व कन्या विद्यालयों की स्थापना करना।
14. संस्था के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं को प्रतिवर्षी परीक्षाएँ, मुरूल मालेज के बारे में जानकारी देना।
15. विकलांग बालक एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा, कृषि अंग, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।
16. स्वजलधारा, स्वच्छता, इससे सम्बन्धित सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी फैलाना एवं प्रचार व प्रसार करना।
17. युवाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना।
18. नत्म पालन, भूमि सुधार से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों का संचालन करना व इसका प्रचार व प्रसार करना।

समस्त कार्य
के लिए धन्यवाद
मुझे मां साहो
विद्यावती
Sachin



उमाकांत
राजेश्वरी
मौराराय
Rajees Kumar Rai
साचरी राय

वहापक राजेश्वरी
कन्या बोवाइटीय तथा विदु
गोरखपुर

क द्वारा नियमानुसार कार्यभार साधा गया-

क्र०सं०	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री रामदास राय	मो० दाउदपुर, जिला गोरखपुर	अध्यक्ष	कृषि
2.	पुत्र स्व० लखन राय श्री ओम प्रकाश मिश्र	उपरोक्त	उपाध्यक्ष	"
3.	पुत्र श्री चन्द्रदेव मिश्र श्री अनिल कुमार राय	उपरोक्त	मंत्री	"
4.	पुत्र श्री रामदास राय श्रीमती विद्यावती राय	उपरोक्त	कोषाध्यक्ष	गृहणी
5.	पत्नी श्री अनिल कुमार राय श्रीमती माधुरी राय	उपरोक्त	उपमंत्री	"
6.	पत्नी श्री जे०बी० राय श्रीमती मीराराय	उपरोक्त	सदस्य	"
7.	पत्नी श्री अरून कुमार राय श्रीमती सुशीला शाही	उपरोक्त	सदस्य	"
8.	पत्नी श्री कुलभूषण शाही श्री उमाकान्ती शाही	उपरोक्त	सदस्य	कृषि
9.	पुत्र श्री रामनवल शाही श्री राजीव कुमार राय	उपरोक्त	सदस्य	"
10.	पुत्र श्री रामदास राय श्री संजीव कुमार राय	उपरोक्त	सदस्य	"
11.	पुत्र श्री रामदास राय श्रीमती साधना राय	उपरोक्त	सदस्य	"
12.	पत्नी श्री संजीव कुमार राय श्री कुलीभूषण शाही	उपरोक्त	सदस्य	"
	पुत्र श्री शिवमंगल शाही	उपरोक्त		

6. हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता संस्था के उपरोक्त स्मृति-पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार संस्था का रजि० चारा 21 सन् 1860 के अनुसार सोसायटीज रजि० करवाना चाहता हूँ-

दिनांक 27/7/05

हस्ताक्षर

रामदास राय
कुलभूषण शाही

सुशीला शाही
विद्यावती राय
Sadhana Rai

मीराराय
Rajeev Kumar Rai
माधुरी राय

उमाकान्त शाही

सम्यक् प्रतिलिपि

01/09/05

01/09/05

01/09/05

01/09/05

10. सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के नियम तथा प्रतिबन्ध-

- क- विद्यालय की एजीक्यूट सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाय।
- ख- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- ग- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- घ- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन्स नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्ध प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- ङ- संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- च- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अयासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- छ- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- ज- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पत्रिकाओं में रखा जायेगा, यदि हो तो कृपया प्रबन्धकारिणी का इस आश का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय के विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध कम क से ज तक स्वीकार हैं उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमति के कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

कार्यकाल- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर 5 वर्ष का होगा।

11. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य-

अध्यक्ष-

1. सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों को बुलाना, अनुमोदन करना तथा उसको सुविधानुसार परिवर्तन करना।
3. बैठक में शांति व्यवस्था कायम करना।
4. समिति की बैठकों को देखते हुए तथा राष्ट्रीय नियमों के अन्तर्गत दूसरे प्रदेशों एवं अन्य देशों में प्रतिनिधि भेजना।



मीराराय
 21/11/2019
 कुलभूषण
 सुशीला शर्मा
 विद्यायती शर्मा
 10 Sadhanagar
 (Ravi)
 (K. K. Singh)

बहुमूल्य
 कार्य बोर्ड/राज्य तथा विद्यालय
 10/11/2019

5. समिति की बैठक बुलाना एवं उसे सुविधानुसार परिवर्तन करना।
6. संस्था में मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।
7. बैठक की अध्यक्षता करना तथा उनको कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना।
8. संस्था की और से सभी बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
9. संस्था की चल अचल सम्पत्ति की देखभाल करना।
10. संस्था के विरुद्ध होने वाले समस्त मुकदमों की पैरवी करना।
11. संस्था के कर्मचारियों के कर्षों का निरीक्षण करना।
12. कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति निष्कासन व निलम्बन मंत्रों के साथ मिलकर करना।

उपाध्यक्ष- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

- मंत्री-
1. समिति की बैठक बुलाना।
 2. समिति के दैनिक कार्यों का संचालन करना।
 3. सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क कर संस्था के हितों की पूर्ति करना।
 4. दैनिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी समिति को आवश्यकता पडने पर अपनी राय एवं संस्तुत करना।
 5. समिति की सभी बैठकों की कार्यवाही लिखना एवं अध्यक्ष से उसे प्रमाणित करवाना।
 6. व अन्य कार्य करना जो अध्यक्ष अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा समय समय पर दिये जायें।

उपमंत्री- मंत्री की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

कोषाध्यक्ष

1. संस्था के लिए धन एकत्रित करना।
2. संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पो0 आफिस में संस्था के नाम से जमा किया जायेगा।
3. समिति के हित में अध्यक्ष की अनुमति से समस्त कार्य करना।

मीराराज
सहायक अध्यक्ष
कुलकर्णी

सुशीला शाह
सिद्धान्त रय
Sadhant Rai

(Sai)

(Rai)

(31/11/11)

सहायक अध्यक्ष
सुशीला शाह
कुलकर्णी

12. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-
संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के सभी प्रकार के सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधर पर किया जायेगा।
13. संस्था के आय-व्यय का लेखा जोखा परीक्षण (आडिट)
संस्था के आय-व्यय का लेखा जोखा परीक्षण आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्य प्राप्त आडिटर द्वारा करवाया जायेगा।
14. संस्था का कोष-
संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पो0 आ0 में संस्था के नाम से जमा किया जाये जिसके संचालन के लिए अध्यक्ष व मंत्री व कोषाध्यक्ष में से किसी दो का संयुक्त हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।
15. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाहीयों के संचालन का उत्तरदायित्व-
अदालती कार्यवाही को संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध होने वाले मुकदमें अपने जनपदीय न्यायालय में सुलझाये जायेंगे एवं समस्त मुकदमों (वाद-प्रतिवादों) की पैरवी अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।



संस्था के अभिलेख-

1. सदस्यता रजिस्टर ।
2. कार्यवाही रजिस्टर,
3. सूचना रजिस्टर
4. स्टॉक रजिस्टर ।
5. कैश बुक आदि।

16. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजि0 की धारा 13 व के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक 27.7.05

सत्यप्रतिलिपि

हस्ताक्षर-

मीराराम
रामचरण
कुंभारकर
शुबीला शाही
विद्यावती राय
Sachinapuri
Rai
Rai
Rai

सत्य प्रतिलिपि
01/09/05
बहालक रजिस्ट्रार
केस नं० १२३४ व ५
01/9/05

रजिस्ट्रार का
01/9/05